न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस
प्रकरण संख्या:–27 / 2023

तारीख दायर–25.08.2023
तारीख–निर्णय–10.04.2026

1. श्री उदा पिता भेरा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री कमला पिता भेरा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्री नंगाराम पिता भेरा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्रीमती दोली पुत्री भेरा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्री कालुलाल पिता गांगा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्रीमती मोती पत्नी गांगा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

.......वादीगण

बनाम

1 श्री जीवाराम पिता अमरा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

2 श्री नोजीराम पिता अमरा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

3 श्री देवीलाल पिता अमरा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

4 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–वादी अधिवक्ता 1. श्री पुष्कर लाल मीणा
प्रतिवादी अधिवक्ता 2. श्री मुकेश चौबिसा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलूम्बर

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संस्थित किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की मौजा बलीचा पटवार बलीचा भू–अभिलेख निरीक्षक कालीभीत में वादी के खुद काश्त, कब्जे तथा खातेदारी की खाता संख्या 411 नया पुराना 221 के आराजी नम्बर 1268/694 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि,एव खाता संख्या 412 (नया) 221 (पुराना) आराजी नम्बर 1270/694 रकबा 0.0648 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर वादीगण अपने पिता स्व. भेरा डांगी पिता वाला फोत हो जाने से वादी संख्या 01 से 04 उनके विधिक वारिसान होने से खातेदारी कब्जे काश्त खेती करते आ रहें है। उक्त आराजीयात वादीगणों के खातेदारी में दर्ज है परन्तु उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा वाद ग्रस्त आराजी 694 रकबा 0.1296 हैक्टेयर भूमि का न्यायालय हाजा द्वारा विधि पूर्वक मिट्स एण्ड बाउड्स के आधारा पर बटवारा होने पर भी प्रतिवादीगणों का उक्त आराजीयात पर बलपूर्वक

जबरन कब्जा किया हुआ है।एवं वादीगणों को अपने खातेदारी भूमि के आस–पास भी नही आने देते है। वादीगणों द्वारा प्रतिवादीणों को कई मर्तवा भूमि से कब्जा हटाने हेतु निवेदन किया गया, लेकिन प्रतिवादीगण प्रभावशाली एवं आर्थिक स्थिति मजबुत होने व संख्या में अधिक होने से प्रतिवादीगण कब्जा हटाने को तैयार नही है एवं वादीगणों के साथ मारपीट करने व मरने मारने पर उतारू हो जाते है । वादीगण गरीब काश्तकार है एवं उनके पास ज्यादा भूमि भी नही है अगर प्रतिवादीगणो द्वारा उक्त भूमि से कब्जा नही हटाया गया तो वादीगणों को भारी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका हर्जाना अर्थ में भी सम्भव नही होगा। वादग्रस्त भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज होने एवं भूमि का मालिकाना हक रखने से वादीगण उक्त भूमि से प्रतिवादीगणों का कब्जा हटाये जाने का हक रखते है। वादीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति होने एवं कानुन में विश्वास रखने से वादीगण को माननीय न्यायालय आप की शरण लेना आवश्यक होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय आप में संस्थित किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि ग्राम बलीचा पटवार मण्डल बलीचा, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त कालीभीत तहसील लसाडिया में स्थित है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय आप न्यायालय को होने से वाद आप न्यायालय में अन्दर अवधि प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगणों को आप न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है की न्याय मिलने की पूर्ण सम्भावना है। अतः वादीगणों का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगणो के पक्ष में एवं प्रतिवादीगणों के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे। ग्राम बलीचा पटवार हल्का बलीचा के खाता संख्या 411 नया पुराना 221 के आराजी नम्बर 1268/694 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि,एव खाता संख्या 412 (नया) 221 (पुराना) आराजी नम्बर 1270/694 रकबा 0.0648 हैक्टेयर से प्रतिवादीगणों का कब्जा हटाया जाकर उक्त भूमि को वादीगणों को कब्जा दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे। वादीगणों का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को नोटिस जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये प्रतिवादीगणों द्वारा प्रकरण जवाब प्रस्तुत किया जो पूर्व न्यायालय द्वारा मिट्स एण्ड बाउड्स के आधार पर हुए बटवारे के विपरित है तत्पश्चात् प्रकरण में न्यायालय द्वारा तनकी कायम की गई न्यायालय द्वारा कायम तनकी में तर्क प्रस्तुत करने हेतु उभयपक्षों को कई अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी तनकी में तर्क न्यायालय में प्रस्तुत नही करके उभयपक्षों द्वारा सिधे बहस की गई। बहस में वही कथन किये जो वाद में निहित है।

तत्पश्चात् प्रकरण में तहसीलदार लसाडिया से मौके स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार लसाडिया द्वारा उक्त आदेश की अनुपालना में उक्त प्रकरण में मौके स्थिति की रिपोर्ट हेतु संयुक्त टीम से जॉच करवाई गई । संयुक्त टीम से जॉच करा तहसीलदार लसाडिया द्वारा न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जो निम्नांनुसार है।

राजस्व ग्राम बलीचा की वादग्रस्त आराजी मुल नम्बर 694 रकबा 0.1296 हैक्टेयर भूमि जिसका न्यायालय डिक्री द्वारा पूर्व में बटवारा हुआ था, जो हाल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 की आराजी नम्बर 1269/694 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि खातेदार श्री जीवाराम पिता अमरा डांगी हिस्सा–1/3, देवीलाल पिता अमरा डांगी हिस्सा–1/3, नोजीराम पिता अमरा डांगी हिस्सा

–1/3 राजस्व रेकॉर्ड दर्ज है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बलीचा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 1268/694 रकबा 0.0324 हैक्टयर भूमि खातेदार श्री कालुलाल पिता गांगा हिस्सा – 1/2, मोती पत्नी गांगा हिस्सा–1/2 राजस्व रेकॉर्ड दर्ज है। तथा आराजी नम्बर 1270/694 रकबा 0.0648 हैक्टेयर भूमि खातेदार श्री भेरा पुत्र वाला डांगी राजस्व रेकॉर्ड दर्ज है। उक्त आराजी की मौके की स्थिति अनुसार मूल आराजी नम्बर 694 के उत्तरी भाग में आधे हिस्से पर श्री भेरा पिता वाला डांगी काबिज है जो आराजी नम्बर 695 से सटा हुआ है, एवं मुल आराजी नम्बर 694 के दक्षिण भाग पर श्री देवीलाल,जीवाराम,नोजीराम पिता अमरा डांगी शामलाती काबिज है जो मुख्य सडक से लगता हुआ है।

हमनें तहसीलदार लसाडिया की मौके स्थिति की रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस पर मनन , पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है। जिस पर प्रतिवादीगणों ने जबरन कब्जा कर दिया है प्रतिवादीगणों द्वारा वादी के उक्त कथनों के खण्डन में कोई साक्ष्य या सबूत पेश नही किया है उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगणों का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट डिक्री किया जाता है। तहसीलदार लसाडिया को आदेश दिया जाता है कि मौजा बलीचा पटवार हल्का बलीचा भू–अभिलेख निरीक्षक कालीभीत में वादीगणों के खुद काश्त, कब्जे तथा खातेदारी की खाता 411 (नया), पुराना (221) में वर्णित आराजी नम्बर **1268/694 रकबा** 0.0324 **हैक्टयर भूमि** तथा **खाता नम्बर नया 412 व पुराना 221 में वर्णित** आराजी1270/694 रकबा 0.0648 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगणों का कब्जा हटा कर भौतिक रूप से वादीगणों को कब्जा दिया जावे प्रतिवादीगणों को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों ।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला सलुम्बर